

25/17

पत्रावली पेश हुई। कक्षाध्यक्ष उप.
अनुपस्थित/ पीछरीय अधिकारी
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-17-1-18 को पेश हो

17-1-18

पत्रावली पेश हुई। कक्षाध्यक्ष उप.
अनुपस्थित/ पीछरीय अधिकारी
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-31-1-18 को पेश हो

31-1-18

पत्रावली पेश हुई। कक्षाध्यक्ष उप.
अनुपस्थित/ पीछरीय अधिकारी
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-7-2-18 को पेश हो

7-2-18

पत्रावली पेश हुई। कक्षाध्यक्ष उप.
अनुपस्थित/ पीछरीय अधिकारी
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-9-2-18 को पेश हो

7-2-18

पत्रावली पेश हुई। कक्षाध्यक्ष उप.
अनुपस्थित/ पीछरीय अधिकारी
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-9-2-18 को पेश हो

12/18

पत्रावली पेश हुई। कक्षाध्यक्ष उप.
अनुपस्थित/ पीछरीय अधिकारी
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-23/08/18 को पेश हो

23/18

पत्रावली पेश हुई। कक्षाध्यक्ष उप.
अनुपस्थित/ पीछरीय अधिकारी
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-06/09/18 को पेश हो

13/18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 01/11/18 को पेश हो

01/11/18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 17/01/19 को पेश हो

17/01/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 25/04/19 को पेश हो

25/04/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 08/08/19 को पेश हो

08/08/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 10/10/19 को पेश हो

10/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. / हस्तगत उक्त
से संबंधित मूल वादपत्र मजलीस न्यायालय
राजस्व मण्डल राजन्याय अजमेर में रखा
हुआ है। अतः मूल वादपत्र के लोटने पर
ज.पत्र पुनः पेश करने की इजाजत देते
है। ज.पत्र खरीज किया जाता है। पत्रावली
केवल शुमार होकर तम्बल से कम हो तथा
वाद तलमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय कुले
न्यायालय में सुनाया गया।